राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बोरवा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम

(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :— ग्राम पंचायत बोरवा

प्रकरण स. — 130 / 2014 रे0वा0 निर्णय दिनांक— 06.07.2015

अनवान

1. श्री प्रेमसिंह पिता रोडसिंह जाति रावत निवासी दांती का बाडिया बोरवा तहसील भीम।
2. श्री कमलसिंह पिता रोडसिंह जाति रावत निवासी दांती का बाडिया बोरवा तहसील भीम।
3. श्रीमति गीतादेवी पत्नि रोडसिंह जाति रावत निवासी दांती का बाडिया बोरवा तहसील भीम।

वादी

बनाम

1. श्री कल्याणसिंह पिता सवाईसिंह जाति रावत निवासी दांती का बाडिया बोरवा तहसील भीम।
2. श्रीमति फेफी बेवा सवाईसिंह जाति रावत निवासी दांती का बाडिया बोरवा तहसील भीम।
3. श्रीमति सुशीला देवी बेवा लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी दांती का बाडिया बोरवा तहसील भीम।
4. श्री पुष्पेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुशीलादेवी जाति रावत निवासी दांती का बाडिया बोरवा तहसील भीम।
5. श्री सुरेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति रावत नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुशीलादेवी जाति रावत निवासी दांती का बाडिया बोरवा तहसील भीम।
6. सुश्री रिंकू पिता लक्ष्मणसिंह जाति रावत नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुशीलादेवी जाति रावत निवासी दांती का बाडिया बोरवा तहसील भीम।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम।
8. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय भीम।

प्रतिवादीगण

वाद--पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 89 व 188 आरटीए

यह कि ग्राम बोरवा पटवार हल्का बोरवा तहसील भीम जिला राजसमन्द में वादिया के खातेदारी स्वामित्व की निम्न भूमि स्थित है जिन्हे इस वादपत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है तथा जिस पर वादीगण का पीढियो से स्वामित्व व कब्जा है:—

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
168	1995 / 1958	05	00	00	बारानी
	कुल किता 1 रकबा 05 बीघा				

यह कि सवाई पिता रूपसिंह की मृत्यु सन 2008 मे हुई थी। उपरोक्त सजरे के अनुसार उनके चार पुत्र श्री कल्याणसिंह, रोडसिंह , लक्ष्मणसिंह व सोहनसिंह थे तथा उनकी पत्नि श्रीमति फेफी देवी थी। इसमे से मोहनसिंह की मृत्यु सन 1988 मे हो गई था। मोहनसिंह लाऔलाद फौत हुआ था। श्री रोडसिंह की मृत्यु दिनांक 19 10.2001 को हुई थी। रोडसिंह के वारिस वादीगण है। लक्ष्मणसिंह की मृत्यु आज से लगभग 8 माह पहले हुई थी उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 है।

यह कि वादग्रस्त वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात स्व0 श्री सवाईसिंह पिता रूपसिंह की खातेदारी भूमि थी जिस पर उनके जीवनकाल मे उन्ही का कब्जा काश्त रहा उनका देहान्त हो जाने के बाद उनके वारिसान वादीगण संख्या 1 व 2 उनके पुत्र रोडसिंह के पुत्र तथा वादी संख्या 3 उनके पुत्र रोडसिंह की पत्नि होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 उनका पुत्र होने व प्रतिवादी संख्या 2 उनकी पत्नि होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पति तथा प्रतिवादी गण संख्या 4, 5 व 6 के पिता लक्ष्मणसिंह उनके पुत्र होने के कारण से वादग्रस्त भूमियो के उनके उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त भूमियो के वाद उनके उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त भूमियो के बाई आपरेशन आफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गये और उनका संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदार एवं काबिज चले आ रहे है तथा कानून के अनुसार उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों में वादग्रस्त की कलम संख्या 1 मे वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का 1/4 हिस्सा है व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीसंख्या संख्या 3 से 6 का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 इन गलत इन्द्राजो का फायदा उठा कर वादीगण के हिस्से की भूमि को बेच कर खुर्द बुर्द करने को आमादा है। दिनाक 20.11.2014 को मौके पर आकर झगडा किया तो वादीगण ने तहसील मे जाकर पता किया तो वादीगण को दस्तावेजात मिलने पर उक्त गलत फौती दाखिल खारिज व गलत इन्द्राजो की जानकारी हुई वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को समझाया की रिकार्ड मे जो गलत इन्द्राज हो गये है इन्हे सुधार करवा ले किन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण की बात मानने से इन्कार कर दिया इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय मे लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बोरवा मे पेश हुआ। वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 उपस्थित एव प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, अनुपस्थित उनके प्रति एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक के खिलाफ घोषणात्मक डिक्री पारित करते हुए वादीगण को वादग्रस्त भूमियों मे वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा स्व0 सवाईसिंह के फौती दाखिल जो अकेले प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 तथा 3 से लगायत 6 के पिता श्री लक्ष्मणसिंह पिता मोहनसिंह के नाम खोले गये नामान्तकरण को निरस्त किये जाने के आदेश किये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

सहायक कलेक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी भीम

Scanned by CamScanner